न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
अधिकार वाद–38 / 2020

डोमनी देवी .....वादिनी

बनाम्

प्रेमा कुमारी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

24.07.2023 अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक– 26.02.2023, अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. एवं वादिनी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 20.03.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी ने निवेदन किया है प्रतिवाद पत्र के प्रस्तुत करने में जल्दवाजी के कारण तथा प्रतिवादीगण के वाद के संचालक अधिवक्ता की भूल के कारण प्रतिवाद पत्र में कुछ असत्य कथनों का उल्लेख कर दिया गया है एवं कुछ सत्य कथनों का विवरण देना छूट गया है जिसे संशोधन के द्वारा प्रतिवाद पत्र में जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन से न तो वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन होगा और न ही वादी के हित को क्षति पहुंचेगी। प्रस्तावित संशोधन विवादास्पद तथ्यों को स्पष्ट करने तथा समुचित न्याय निर्णयन में सहायक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को प्रतिवाद पत्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय।

वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य है। प्रस्तावित संशोधन वर्तमान वाद में वास्तविक विवाद के निस्तारण के लिए आवश्यक नहीं है अपितु वाद को लंबित रखन के आशय से वादी के जमीन में अवैध कब्जा को अनिश्चित समय तक रखने की मंशा से दाखिल किया गया है और प्रस्तावित संशोधन को यदि स्वीकृत किया जाता है तो इससे वादी के हित पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा और वादिनी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपये से नहीं हो सकेगी। वर्तमान वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान सर्वे जानकार अधिवक्ता के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट वर्णित है कि उभय पक्ष के बीच में स्वत्व का विवाद नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने विक्रेता से खरीद किये हैं और प्रतिवादीगण जबरन वादी के जमीन हड़पना चाहते है जिसे वादिनी ने दो विक्रय पत्र से खरीद किये हैं। वादी और प्रतिवादी के पति आपस में सहोदर भाई हैं। प्रतिवादी अपने केवाला से अधिक भूमि पर कब्जा किये हुये है और इन तथ्यों को छुपाने के लिए अपने प्रतिवाद पत्र में संशोधन करना चाहते है तथा वास्तविक प्रश्नों से न्यायालय का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद नं0 2 में वर्णित भूमि पर हकियत की उद्घोषणा के लिए दाखिल किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी आपस में गोतनी है और दोनों अलग अलग बिक्रेता से खरीदार

हैं। प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के मध्य अन्तर्ग्रस्त वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए प्रस्तावित संशोधन का अभिलेख पर आना आवश्यक है। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में भी प्रतिवाद पत्र में संशोधन किये जाने का प्रयाश परिलक्षित है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन 700 रू0 खर्च वादी को अदा करने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी समयसीमा के अन्दर प्रतिवाद पत्र में संशोधन दर्ज कर लें।

दिनांक– **07.08.2023** वास्ते धारा 89 सी0पी0सी0 पर सुनवाई हेतु।

कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी